

न्यायालय:-अमूल मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 185/18

संस्थित दिनांक 08.05.2018

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
 अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. रशिद पिता नजीद मुसलमान,
 उम्र 48 वर्ष, निवासी पानवाडी मोहल्ला
 बड़वानी, जिला बड़वानी
2. सलाउद्दीन पिता इकबाल हुसैन
 उम्र 37 वर्ष, निवासी कालका माता
 मंदिर बड़वानी, जिला बड़वानी
3. विशाल पिता श्याम गुरवा,
 उम्र 42 वर्ष, निवासी कृष्णा चौक
 अंजड़, जिला बड़वानी
4. रामू पिता गोविंद भील,
 उम्र 39 वर्ष, निवासी गाय बैड़ा
 अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

:: / / निर्णय / / ::

(आज दिनांक 08/05/2018 को घोषित)

1— अभियुक्तगण रशिद, सलाउद्दीन, विशाल व रामू पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग है कि वे दिनांक 25.02.2018 को दोपहर के 3:00 बजे के लगभग फुटला तालाब के पास तलाई अंजड़ में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रुपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण ने इस निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोपों को स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के स्वीकार किया है।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2018 को थाना अंजड़ के सहायक उपनिरीक्षक रेवाराम चौहान को कस्बा अंजड़ में अवैध सट्टा जुआ शराब की पतारसी के बाद, मुखबीर से सूचना मिली कि फुटला तालाब तलाई के

पास कुछ व्यक्ति हार जीत का दाव लगाकर रुपये पैसे से मांग पत्ती का ताश पत्तों का जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर विश्वास करते कर राहगीर पंचान मोहन व हिरदाराम को सूचना से अवगत कराया एवं हमराह तथा मय फोर्स के मुखबीर के बताये स्थान फुटला तालाब के आगे तलाई के पास पहुंचे तथा आड़ लेकर देखा तो 4 व्यक्ति आमने सामने बैठकर रुपये पैसे से ताश पत्ते का जुआ खेलते हुए दिखाई दिये। जिन्हें हमराह फोर्स व पंचों को दिखाया तथा घेराबंदी कर चारों व्यक्तियों को पकड़ा, जिसके हाथ में ताश की गड्डी थी उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रशिद पिता नजीद मुसलमान, निवासी पानवाडी मोहल्ला बड़वानी का होना बताया, जिसके कब्जे से 48 ताश पत्ते तथा नगदी 700 रुपये एवं फंड से 4 ताश पत्ते तथा 200 रुपये एवं पास में बैठे अन्य आरोपीगणों से पूछने पर दूसरे ने अपना नाम सलाउद्दीन पिता इकबाल मुसलमान, निवासी कालका माता मंदिर के पास का होना बताया, जिसके कब्जे से नगदी 800 रुपये व तीसरे ने अपना नाम विशाल पिता श्याम गुरवा निवासी श्रीकृष्ण चौक अंजड़ बताया जिसके कब्जे से 900 रुपये नगदी व चौथे ने अपना नाम रामु पिता गोविंद भील निवासी गायबैडा अंजड़ का होना बताया, जिसके कब्जे से 1,100/- रुपये इस प्रकार कुल 52 ताश पत्ते एवं नगदी 3,700 रुपये जप्त किये एवं पंचानों के समक्ष में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर उनके विरुद्ध थाने का अपराध क्र. 90/18 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4— उक्त अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किया जाकर अभियुक्तगण को अपराध विवरण पढकर सुनाये एवं समझाये जाने उन्होंने उक्त अपराध करना स्वीकार किया उनका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है:—

क्या अभियुक्तगण रशिद, सलाउद्दीन, विशाल व रामू ने दिनांक 25.02.2018 को दोपहर के 3:00 बजे के लगभग फुटला तालाब के पास तलाई अंजड़ में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष

6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्तगण ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उन्होंने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा धारा 13

सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उन्हें धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्तगण की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध में 100/—, 100/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 15—15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।

8— प्रकरण में जप्तशुदा 3,700/— रुपये राजसात किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित।
एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.